उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 91 /अधोविक/(बी–2)/2015/2184-2236 भोपाल, दिनांक 16/5/18
प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
(समस्त)

विषयः– म0प्र0 राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2015 अंतर्गत हस्तान्तरण प्रकरणों में विकास शुल्क प्रभारित नही किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 16–09/2015/बी–ग्यारह, भोपाल, दिनांक 08.05.2018

....

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2015 अंतर्गत हस्तान्तरण प्रकरणों में विकास शुल्क प्रभारित नहीं किये जाने हेतु संशोधन आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

16/5/18
सहायक संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

क्रमांक 91 /अधोविक/(बी–2)/2015/2237-2242 भोपाल, दिनांक 16/5/18
प्रतिलिपिः–

1. औद्योगिक संघ.................................... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/18
सहायक संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08 /05/2018

क्र. एफ 16-09/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 अंतर्गत हस्तांतरण प्रकरणों में विकास शुल्क प्रभारित नही किये जाने हेतु संशोधन के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि:-

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 18(अ)(5) को इस अंश तक संशोधित किया जाता है कि पूर्व में आवंटित औद्योगिक (विनिर्माण) उपयोग में आ रहे भू-खण्डों के हस्तांतरण उपरांत औद्योगिक (विनिर्माण) उपयोग में ही रहने पर विकाश शुल्क देय नही होगा। भू-आवंटन नियम, 2015 में उक्त संशोधन के जारी होने की तिथि पश्चात समस्त भू-हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों का निराकरण संशोधित नियम अनुसार ही किया जावेगा, किन्तु जिन हस्तांतरण प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है अर्थात हस्तांतरण संबंधी राशि जमा कराई जाकर लीज डीड संशोधित की जा चुकी है उन प्रकरणों पर कोई पुनर्विचार नही किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-09/2015/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 08/05/2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।

   - की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. समस्त म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ....
6. उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग